



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277226
CG-DL-E-17102026-277226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5450]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5450]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5667(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 11 मार्च, 2024 को प्रकाशित हुई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा (2) में, जो “धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत सदस्य” से संबंधित है, सारणी में, क्रम संख्या (v) के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

सदस्य
(2)
“सुश्री हेना उस्मान, संयुक्त सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय”।

[फा. सं. जेड-28016/03/2023-एएचएस]

ए. मुथुकुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 4887 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, 8th October, 2026

S.O. 5667(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 read with section 4 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th March, 2024, namely:-

In the said notification, in paragraph (2) relating to "Members under clause (c) of sub-section (3) of section 3", in the Table, against serial number (v), for the entries in column (2), the following shall be substituted, namely:-

Member
(2)
"Ms. Hena Usman, Joint Secretary in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship".

[F. No. Z-28016/03/2023-AHS]

A. MUTHUKUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024 and last amended *vide* notification number S.O. 4887 (E), dated 31st August, 2026.